

- : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 विष्णुसिंह के हक बंट कब्जा काशत में मौजा भावला का खसरा नम्बर 779/321 रकबा 3.7180 हैक्टेयर में से रकबा 1.6316 हैक्टेयर उत्तरी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 भगवानसिंह के हक बंट कब्जा काशत में मौजा भावाला का खसरा नम्बर 779/321 रकबा 3.7180 हैक्टेयर में से रकबा 0.4548 हैक्टेयर बीच का माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर खसरा नम्बर 315/1 रकबा 1.3030 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. वादी संख्या 3 जितेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काशत में मौजा भावाला का खसरा नम्बर 779/321 रकबा 3.7180 हैक्टेयर में से रकबा 1.6316 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वरसिंह के हक बंट कब्जा काशत में मौजा भावाला का खसरा नम्बर 332/1 रकबा 1.8777 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 खीवसिंह के हक बंट कब्जा काशत में मौजा भावाला का खसरा नम्बर 778/321 रकबा 0.0860 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता यथावत रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 खीवसिंह के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
7. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।
8. उक्त खसरा नम्बर के बैंक के रहन कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करें। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 23/11/2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.म.प. काश विर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

(ओ.म.प. काश विर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल